गिरवरलाल / [illegible]

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

12

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 1302-I/11 जिला मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24-4-15	आवेदक अभिभाषक की दरख्वास्त पेश। [illegible] प्रकरण आगामी पर तर्क हेतु। पेशी 15-7-15 [signature]	
15-7-15	आवेदक [illegible] 340/ आगामी तर्क हेतु। C.F. 23-7-15 [signature]	[illegible]
23-7-15	आवेदक अभि. श्री ओ.पी. [illegible] उपस्थित [illegible] प्रकरण आगामी पर तर्क हेतु। पेशी 6-10-15 [signature]	6-10 भागंपत्र जारी।
6.10.15	प्रकरण में [illegible] कुमार [illegible] उप. 1 [illegible] के अभाव में प्रकरण आगामी पेशी में [illegible] [illegible] [signature]	

[कृ. प. उ.

न्यायालय :- माननीय श्रीमान राजस्व मंण्ल म0 प्र0 शाषन ब्रान्च ग्वालियर म0प्र0

प्र0क0.................पुनरीक्षण 011-12 R-1302-I/2011

फर्म गिरवरलाल प्यारेलाल मंण्डी मुरैना द्वारा श्रीनाथ दत्तकपुत्र लाला बांकेलाल फौत वारिषान :-

1:- श्रीमती सरोज गुप्ता पत्नी स्व0 श्री श्रीनाथ गुप्ता।

2:- दीपक गुप्ता पुत्र स्व0 श्री श्रीनाथ गुप्ता।

3:- प्रदीप गुप्ता पुत्र स्व0 श्री श्रीनाथ गुप्ता।

4 :-संजय गुप्ता पुत्र स्व0 श्री श्रीनाथ गुप्ता।

5:- पवन गुप्ता पुत्र स्व0 श्री श्रीनाथ गुप्ता।

6:- आकाश गुप्ता पुत्र स्व0 श्री श्रीनाथ गुप्ता।

समस्त जाति माथुर वैश्य मालिक फर्म गिरवरलाल प्यारेलाल मंण्डी मुरैना ....अपीलान्टस्/आवेदक

श्री ... द्वारा आज 9-8-2011 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1 :- प्रशाषन नगरपालिका मुरैना। द्वारा- बर्तमान बोडी

अ- अघ्यक्ष नगरपालिका परिषद नगर पालिका मुरैना

ब- मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद मुरैना

2 :- सरीफखां पुत्र मोहम्मदखां जाति मुसलमान निवासी कुलियानामोहल्ला नगर मुरैना म0प्र0....रेस्पो0/अनावेदक

पुनरीक्षण विरूद्ध आदेश दिनांक 09-07-2009 न्यायालय माननीयअपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना म0 प्र0 के प्र0 क0 82/2007-2008 अपील, अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू रा0 संहिता 1959।

श्रीमान जी,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि विवादित भूमि एवं भवन बशक्ल पाटौरात सर्वे क0 684 रकवा 9 बीघा 12 विश्वा का अंश भाग 23.03 वर्ग मीटर, कुलियाना मोहल्ला नगर मुरैना में स्थित होकर अपीलान्ट्स के एक मात्र स्वामित्व व आधिपत्य की हैं, जो अपीलान्ट्स के पूर्वज फर्म गिरवरलाल प्यारेलाल के नाम से रजि0 विक्रय- पत्र दिनांक 18-03-1933 से विधिवत क्रय कर विधिवत नगरपालिका मुरैना में नामान्तरण कराया और नगरपालिका के सम्पत्तीकर, हाउसटेक्स रजिस्टर, आदि में उक्त सम्पत्ती फर्म गिरवरलाल प्यारेलाल के नाम से दर्ज है।और विधिवत सम्पत्तीकर जमा है उक्त भूमि एवं भवन के अंश भाग में रेस्पो0 क0 2 अपी0 के पूर्वजों की ओर से बतौर किरायेदार आवाद होकर उसमें निवास कर रहा है, जिसकी उसे विधिवत रसीद दी जाती रही हैं।

2 :- यह कि उक्त अंश भूमि पाटोर का रेस्पो0 क01 प्रशाषन नगरपालिका द्वारा प्र0 क028/83-84/अ-20 में पारित आदेश दिनांक 12-06-1984 को रेस्पो0 क0 2 हित में कतैयी गलत एवं अवैधरूप से पट्टा जारी कर दिया। इस आदेश के विरुद्ध अपीलान्ट मुन्नालाल एवं तत्कालीन न्यायालय रिसीव्हर एम0एन0 पेन्ढारकर एडवोकेट ने श्रीमान कलेक्टर महोदय मुरैना के समक्ष अपील की जो प्र0 क0 186/92-93 निगरानी माल पर कायम हो कर दिनांक 5-5-1995 को स्वीकार होकर रेस्पोन्डेन्ट क0 2 के हित में किया गया पट्टा निरस्त

क्रमशः 2 पर